संख्या 147 /XXIV(1)/न0सू0अनु0/40/2017 T.C.III

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उत्तराखण्ड।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी 2018

विषय– प्रदेश के जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में मध्याह्न भोजन योजना प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–रा0प0का0/577/एम0डी0एम0/34/2017–18 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को केन्द्रीयकृत किचन में पूर्णतः मशीनीकृत, साफ एवं स्वच्छ तरीके से निर्मित पौष्टिक गरम, पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा शिक्षकों को शिक्षणेत्तर दायित्वों से मुक्त करने हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत जनपद देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर में स्वैच्छिक संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन के माध्यम से मध्याह्न भोजन वितरण कार्यक्रम निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1. सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्था को मध्याह्न भोजन योजना संचालित करने हेतु केन्द्रीयकृत किचन की स्थापना के दृष्टिकोण से दो से ढाई एकड़ भूमि "नामिनल" दर ₹ 1000/– (रूपये एक हजार) प्रतिवर्ष, प्रति एकड़ की दर पर 30 वर्ष के लिए उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका नवीनीकरण तीन वर्षों के लिए कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किया जा सकेगा। संस्था को उक्त धनराशि लाइसेंस पर भूमि प्राप्त करने से पूर्व एकमुश्त अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी।

2. प्रश्नगत स्वैच्छिक संस्था को केन्द्रीकृत किचन की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जा रही भूमि नगर निगम/माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/जिला प्रशासन आदि के स्वामित्व में होने के दृष्टिगत भूमि स्वामित्व के अनुसार जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा अथवा शासन द्वारा नामित उप सचिव स्तर/उससे उच्च स्तर के शिक्षा निदेशालय/मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्था को केन्द्रीयकृत भोजनालय हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि का स्वामित्व पूर्ववत सरकार का ही रहेगा तथा संस्था से मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम संचालन हेतु विहित समयावधि तक मात्र उपयोग/उपभोग का अधिकार (Right to Use) होगा, जिसके लिए संस्था द्वारा सरकार को निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा। भूमि पर कोई भी निर्माण शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा एवं उक्त निर्माण स्थानीय भवन निर्माण मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

—2

3. मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम संचालित करने हेतु एक अनुपूरक एम0ओ0यू0 (Supplementary Memorandum of Understanding) (निर्धारित प्रारूप संलग्न)का निष्पादन जनपद में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु संबंधित जिले के जिलाधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के मध्य किया जायेगा।

4. उक्त उद्देश्य हेतु आवश्यक भूमि सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा हंस फाउण्डेशन तथा अक्षय पात्र संस्था द्वारा CSR के तहत किचन निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों/छात्रों का विवरण राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा स्वैच्छिक संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यदि संस्था को दी जाने वाली भूमि दो विभागों से संबंधित होगी तो दोनों विभागों की सहमति के उपरांत शासन द्वारा नामित उप सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर के शिक्षा निदेशालय/मण्डल/जनपद स्तर के विभागीय अधिकारियों अथवा संबंधित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर संस्था को भूमि उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6. उक्त योजना के संचालन हेतु शासनादेश सं0 82/XVIII(2)/2018-18(74)/2017 दिनांक 6 फरवरी 2018 के निहित प्रावधानों के आधार पर जिला अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर को अक्षय पात्र संस्था को पटटे/लीज पर भूमि देने हेतु अधिकृत किया गया है।

7. मध्याह्न भोजन योजना हेतु स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रश्नगत जनपद में पृथक से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा जिसमें राज्य/जनपद स्तर से प्राप्त धनराशि का अन्तरण किया जा सकेगा।

8. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेशों एवं इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में उक्त स्वयंसेवी संस्था एवं शासन द्वारा अधिकृत महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा जो कि भविष्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निर्देशों के अधीन होगा।

9. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्था को उपलब्ध कराया जाने वाला खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारतीय खाद्य निगम एवं क्षेत्रीय खाद्य निगम के गोदाम से उठान के समय खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति में स्वयसेवी संस्था का भी प्रतिनिधि होगा। यदि आवश्यक हो तो अलग से जाँच समिति गठित की जायेगी जिसमें राज्य स्तर/जनपद स्तर के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि नामित होंगे।

10. यदि संस्था द्वारा अपने उत्तरदायित्व या पूर्व अनुमति से विद्यार्थियों को और अधिक गुणवत्ता युक्त गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो शासन/प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होगी।

11. बच्चों को उपलब्ध कराये जाने वाले अधिक गुणवत्ता/पौष्टिकता युक्त भोजन में जिन सप्लीमेन्टस (प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैलोरी आदि) का उपयोग किया जायेगा, उसका अलग से मीनू में उल्लेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ विद्यालय की दीवार पर एवं व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए स्वैच्छिक संस्था द्वारा किया जायेगा।

12. प्रश्नगत स्वय सेवी संस्था को अनुबंध के आधार पर जिला स्तर/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का अलग–अलग विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही महालेखाकर एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा

कराये जाने वाले ऑडिट के सम्मुख समस्त अभिलेख भी प्रस्तुत कराये जायेंगे।

13. किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों के अन्तर्गत शासन/प्रशासन के निर्देश पर जनसामान्य को सुविधा देने के हितार्थ, संस्था के संसाधनों का उपयोग किया जा सकेगा।

14. स्वयं सेवी संस्था द्वारा सेवा प्रदान किये जाने में कमी पाये जाने अथवा मैमोरण्डम ऑफ अन्डरस्टैन्डिंग (एम0ओ0यू0) के प्राविधान का उल्लंघन किये जाने पर सरकार उचित कारणों के साथ स्वयं सेवी संस्था को नोटिस दे सकती है, जिसका स्पष्टीकरण स्वयं सेवी संस्था को यथोचित कारणों के साथ 15 दिन के अंदर देना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात आवश्यक सुधार करने हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त समय स्वयं सेवी संस्था को दिया जायेगा तथा स्वयं सेवी संस्था को समुचित कारणों से अवगत भी कराया जायेगा जिससे कि किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति/सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था द्वारा वितरित भोजन की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शास्ति की वसूली जिला प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी। प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी अपेक्षित सुधार न होने की दशा में सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्था को 3 महीने का नोटिस देकर किया गया अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

15. स्वयं सेवी संस्था को यदि जनपद स्तर में किन्हीं कारणों से दोषी पाया जाता है तो प्रदत्त शास्ती के विरूद्ध संस्था द्वारा प्रत्यावेदन/अपील, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिस पर गुण–अवगुण के आधार पर परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा। उक्त निर्णय अंतिम होगा।

16. केन्द्रीयकृत किचन की स्थापना एवं तैयार किये गये भोजन को विद्यालयों तक पहुंचाने की व्यवस्था आदि पर होने वाले समस्त धनराशि के व्ययभार का वहन प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

17. स्वयं सेवी संस्था द्वारा भोजन वितरण विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत रसोइया (भोजनमाता) के माध्यम से कराया जायेगा। इस हेतु रसोइया (भोजनमाता) को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान पूर्व की भांति किया जायेगा। भोजन वितरण से पूर्व संबंधित विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की जाँच प्रधानाध्यापक/अधिकृत शिक्षक द्वारा करने के उपरांत ही भोजन का वितरण किया जा सकेगा।

18. विद्यालयों में पूर्व से संचालित भोजनालय का उपयोग संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन को एकत्रित कर बच्चों को वितरित किये जाने तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भोजन पकाने के प्रयोजन से किया जा सकेगा।

19. यदि भविष्य में प्रश्नगत संस्था अक्षय पात्र फाउण्डेशन द्वारा अन्य जनपदों में योजना के विस्तार विषयक प्रस्ताव उपलबध कराया जाता है तो इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जायेगा।

20. स्वयं सेवी संस्था द्वारा भूमि एवं किचन निर्माण से पूर्व विभिन्न विभागों से यथा वन विभाग, स्थानीय पंचायत, श्रम विभाग, एम0डी0डी0ए0, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नियमानुसार आवेदन करने पर जिला प्रशासन के सहयोग से उपलब्ध कराया जायेगा।

21. स्वयं सेवी संस्था द्वारा तैयार किया गया भोजन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत विद्यालय मध्यांतर अवकाश से पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ताकि मध्यांतर के समय ही बच्चों को भोजन उपलब्ध करा दिया जाये।

––4

22. स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये भोजन में आयरन की मात्रा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य पदार्थ यथा सब्जी आदि बनाने के लिए यथासंभव लोहे के बर्तन का उपयोग किया जायेगा।

23. स्वयं सेवी संस्था द्वारा निर्मित केन्द्रीयकृत किचन के निरीक्षण हेतु शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ–साथ जिला प्रशासन के अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा कभी भी किसी समय भी केन्द्रीयकृत किचन का अवलोकन कर जाँच की जा सकती है।

24. स्वयं सेवी संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचन के माध्यम से छात्रों को पका पकाया गरम भोजन उपलब्ध कराने हेतु किये गये व्यय के भुगतान हेतु प्रत्येक माह की **05 तारीख** तक विद्यालयों के एम0डी0एम0 पंजिका में अंकित लाभान्वित छात्रों के आधार पर तैयार बिल के सत्यापन (विद्यालयवार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रमाण–पत्रों के आधार पर)जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा एवं तैयार बिलों के सत्यापन के आधार पर मासिक बिल का भुगतान किये जाने से पूर्व जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा तत्पश्चात् भुगतान की कार्यवाही एवं नियमानुसार कर (Tax) की कटौती की जायेगी।

25. भोजन तैयार करने एवं वितरण करने की प्रक्रिया में लगी प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था भवन निर्माण, खाद्यान्न गुणवत्ता, स्वास्थ्य, पोषण, चिकित्सा परीक्षण इत्यादि जैसे विषयों पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों व निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। उक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की लापरवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था का होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना का उपरोक्तानुसार विस्तार व संचालन किये जाने हेतु सरकार के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि का ही उपयोग किया जायेगा। उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि से संबंधित प्रशासकीय विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय धनराशि ही प्रश्नगत स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। पृथक से अन्य धनराशि उपलब्ध कराये जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या 147 /XXIV(1)/न0सु0अनु0/40/2017 T.C.III,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/न्याय/खाद्य एवं रसद/आवास/नगर विकास/पेयजल /पर्यावरण /उद्योग/श्रम/राजस्व/वन उत्तराखण्ड शासन।
2. जिला अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर।
3. नगर आयुक्त, संबंधित जनपद।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0), देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव